वन भूमि की मांग न्यूनतम हाने सम्बन्धी प्रमाण प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के0व्ही0 डबल सर्किट उरई से अलीगढ पार्ट–4 पैकेज टी0ई0–09 पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु **अलीगढ वन प्रभाग की** 1–आगरा–अलीगढ़ मार्ग (एन0 एच0 509) के किमी 164–165 के मध्य क्षेत्रफल 0.1340 हे०, 2. आगरा–मथुरा मार्ग (एस0 एच0 80) के किमी 12–13 के मध्य क्षेत्रफल 0.1340 हे०, गौमत–बाजना मार्ग के किमी 3–4 के मध्य क्षेत्रफल 0.1740 हे० एवं गंगा कैनाल (निचली मांट शाखा) के किमी 3–4 के मध्य क्षेत्रफल 0.2175 हे०, कुल 0.6595 है0 संरक्षित वनभूमि, गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जायेगी ।

तथा

हाथरस वन प्रभाग की 1–पीलीभीत–भरतपुर मार्ग(एस0एच0–33) के भाग सिकन्दरराव–मथुरा के कि0मी0 196–197 एवं 2–नहर इटावा स्टम्प ग्राम बावस सप्लाई चैनल के कि0मी0 15.500 की प्रभावित कुल 1.0082 है0 संरक्षित वनभूमि गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जायेगी ।

अतः उक्त परियोजना के निर्माण में गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल **1.6677हेक्टेयर** संरक्षित वनभूमि (हाथरस-1.0082हे.+अलीगढ-0.6595हे.) की मॉग न्यूनतम है एवम प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

18/1/18

S. K. Singh
D.G.M.
Powergrid, Aligarh